प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'एक'

प्रश्न सं. [क. 1678]

[22/3/2017]

परिशिष्ट - (क) (क)

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक / स्था0-4 / सर्त. / व्ही / 65 / 2016 / 2223 भोपाल, दिनांक 09/11/16

प्रति,

संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण,
रीवा संभाग रीवा, म.प्र.

विषयः- विधानसभा तारांकित प्रश्न क.1159 दिनांक 01.03.2016 पर आश्वासन कमांक 261 उत्तर तैयार करने के संबंध में ।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक / वि.स. / बजट / 2016 / 268 दिनांक 29.10.2016

---00---

उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1159 दिनांक 1/3/2016 पर निर्मित आश्वासन कमांक 261 सतना जिले में अप्रैल 2013, सितम्बर 2013 एवं मई 2014 में सहायक शिक्षक से शिक्षक / प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला के पद पर की गई पदोन्नति / पदस्थापना की जांच कराई, जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ।

प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी जिला सतना में पदस्थ तत्कालीन शाखा प्रभारी लिपिक को दोषी पाया गया है । अतः निर्देशित किया जाता है कि लिपिक के विरूद्व तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें एवं कृत कार्यवाही से 3 दिवस की समयावधि में संचालनालय को अवगत करावें । ताकि आश्वासन का उत्तर शासन को भेजा जा सके ।

संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / स्था0-4 / सर्त. / व्ही / 65 / 2016 / 2224 भोपाल, दिनांक 09/11/16

प्रतिलिपि :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी जिला सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. उप संचालक, विधान सभा कक्ष (स्थानीय)की ओर सूचनार्थ ।

संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1),
मंत्रालय, भोपाल

V-Table

परिशिष्ट – (ख)

(ख)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म0प्र0)

क्र0 / सर्तकता / एम / सतना वि.स. / 2016 / 217 रीवा, दिनांक / 17 / 11 / 2016

/ / आदेश / /

लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल का पत्र क्र0 / स्था0–4 / सर्त. / व्ही / 65 / 2016 / 2223 भोपाल, दिनांक 09.11.2016 में दिये गये निर्देश के अनुक्रम में विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1159 दिनांक 01.03.2016 में उदभूत आश्वासन क्रमांक 261 की पूर्ति हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन अनुसार सतना जिलें में अप्रैल 2013, सितम्बर 2013, एवं मई 2014 में सहायक शिक्षक से शिक्षक / प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला के पद पर की गई पदोन्नति / पदस्थापना संशोधन में की गई व्यापक अनियमितताओं के लिये जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तत्समय पदस्थ श्री पवन कुमार श्रीवास्तव सहा0ग्रेड–2 वर्तमान पदस्थापना डाईट सतना को दोषी पाया गया है।

आपका उपरोक्त कृत्य दायित्वों के प्रति लापरवाही का घोतक है, जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (2) (3) के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।

एतद् द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (चार) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री पवन कुमार श्रीवास्तव सहा0ग्रेड–2 वर्तमान पदस्थापना डाईट सतना की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से बंद करने की शास्ति अधिरोपित करते हुये प्रकरण समाप्त किया जाता है।

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म0प्र0)

पृ0क्र0 / सर्तकता / एम / सतना वि.स. / 2016 / 218 रीवा, दिनांक / 17 / 11 / 2016

प्रतिलिपि :–

1. संचालक लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल।
2. कलेक्टर जिला–सतना म.प्र.।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना म.प्र.।
4. जिला शिक्षा अधिकारी जिला सतना–म.प्र.।
5. प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सतना म.प्र. की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधीजन की सेवा पुस्तिका में उपरोक्त प्रविष्टि इन्द्राज कर एक सप्ताह के अन्दर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
6. संबंधीजन श्री पवन कुमार श्रीवास्तव सहा0ग्रेड–2 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सतना की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म0प्र0)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1),
मंत्रालय, भोपाल